

कार्यालय आधेशासी अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड-मेजा  
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०  
मेजा रोड, प्रयागराज

फोन : 05334-278062

E-Mail: eddmejaald@gmail.com

CIN-31200UP2003SGC027461

पत्रांक सं०: 02/11/23

वि०वि०ख०मेजा प्रयाग०/

दिनांक: 7750 2023

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा निम्नलिखित आवेदक को उनके सम्पूर्ण अंकित विद्या एवं मार के लिए संयोजन अनुमत्या करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाती है।

क्र० सं०	आवेदक का नाम	विद्या/मार	मोबाइल नं०	आवेदन सं० एवं प्रकल्प शुल्क धनराशिका विवरण (वाहान नं०/ट्रान्जेक्शन आईडी/धनराशि)	उपखण्ड का नाम
1.	Dinesh Chandra Tiwari	3 HP	7007020340	1008337786/ P53824717/ YIC42127695014/Rs. 100	EDSD Meja
2.	Johanan Rani	5 HP	7275514073	1008337912/P53824920/ YIC42128418104/Rs. 100	EDSD Meja
3.	MELEHA SHANKAR	3 HP	8081152243	1008338004/P53825248/ YIC42128659492/Rs. 100	EDSD Koraon
4.	Tiven prasad mishra	3 HP	6352085507	1008338541/ P53826501/ YIC42130108542/Rs. 100	EDSD Manda
5.	RAM DHANI	5 HP	97949-12368	1008338950/P53826539/ YIC42130123847/Rs. 100	EDSD Meja
6.	Urnala Devi	3 HP	8853480202	1008338974/ P53826515/ YIC42130149703/Rs. 100	EDSD Manda
7.	Vikesh kumar singh	3 HP	7906386445	1008338388/P53826606/ YIC42130176553/Rs. 100	EDSD Manda
8.	PHOOL CHANDRA KUSHWAHA	3 HP	9198127681	1008338615/ P53826698/ YIC42130250373/Rs. 100	EDSD Meja

- यदि आवेदक रवीकृत समय के अतिरिक्त विद्युत शक्ति का उपयोग करते पाया गया तो बिना किसी पूर्व सूचना के उसका कनेक्शन काटा जा सकता है।
- विद्युत शक्ति की रवीकृत निम्नलिखित शर्तों के आधार पर दी जायेगी।  
(अ) मिट्टी नलकूप एपियम रोड नहरों से 100 मीटर की दूरी के अन्दर नहीं लगाया जायेगा।  
(ब) यदि आवेदक किसी अन्य कृषक को जिराकी भूमि राजकीय शिचाई के साधनों के क्षेत्र के अन्दर आती है, यदि पानी देते हुये पाया जायेगा तो उसका कनेक्शन उसी समय बिना किसी सूचना के काट दिया जायेगा।
- यदि उक्त आवेदक का कनेक्शन उस जगह पर करी सम्पत्त किया जा चुका हो तो उस जगह पर आवेदक को या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को कनेक्शन तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक पुराने कनेक्शन पर विद्युत सप्लय की धनराशि जमा नहीं कर देते हैं।
- समय-समय पर उ०प्र० पावर कर्पोरेशन लि०/निगम द्वारा निर्गत सभी आदेश प्रभावी समझे जायेगे।
- आवेदक यदि अपनी साइट का निरीक्षण नहीं करवाता है अथवा टी०सी० निर्गत होने की दिनांक से 30 दिन के अन्दर नियम एवं शर्तों के अनुसार धनराशि जमा कराकर अनुबन्ध नहीं करता है तो आम की कार्यवाही स्वतः निरस्त हो सकेगी।
- आवेदक को कनेक्शन देने में विलम्ब की कार्यवाही पर क्षतिपूर्ति का दावा अमान्य होगा।
- आवेदक को आवेदन दिनांक 06 माह के अन्दर यदि कोई टी०सी० या नोटिस प्राप्त नहीं होता है तो वह स्वयं अधोहस्ताक्षरी से लिखित रूप से प्रार्थना पत्र सहित मिले।
- विभाग/शासन द्वारा निजी नलकूप कनेक्शन देने के प्रतिबन्ध पर जारी सभी नियम समय-समय पर लागू रहेंगे।
- उपरोक्त की जमीन पर किसी विवाद के लिए विभाग के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
- उपरोक्त रवीकृत उपभोक्ता की स्वेच्छा पर है। कनेक्शन देने या न देने का पूर्ण अधिकारी निगम को सुरक्षित है।
- किसी भी विवादित स्थल पर कनेक्शन नहीं दिया जायेगा।
- आवेदक को संयोजन स्थल पर निरीक्षण स्वयं करवाना होगा।
- उपरोक्त भूमे पर किसी प्रकार कि वाद-विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी और माननीय न्यायलय का आदेश सर्वोपरि होगा।
- संयोजन/सागरी का निर्गम वित्तीय वर्ष 2020-21 में शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्राथमिकता सूची एवं सामग्री की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा।

पत्रांक सं०: 7750


वि०वि०ख०मेजा प्रयाग०/

दिनांक 02/11/23 आधेशासी अभियन्ता 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(पी०के०सोनकर)

1. उपरान्त अधिकारी, विद्युत वितरण उपरान्त शिरसा/कोरांव/उरुवा/गण्डा को सूचनाएं एवं आदेशक का प्राक्कलन सप्लीय कर्मालय को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
2. सप्लीय विकस अधिकारी, उरुवा/मेजा/गण्डा/कोरांव, प्रवागमराज।
3. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
4. आवेदनकर्ता को इस आसय से प्रेषित कि वह सम्बन्धित उपकन्ट्र के अवर अभियन्ता से सम्पर्क कर 1 माह के अन्दर साइट का निरीक्षण करवाने अन्वय प्रथेना पत्र आगे की कार्यवाही समय नही लीगी।

 (पीठकंसोन्कर)  
अधिशायी अभियन्ता